विधान सभा सचिवालय
उत्तरांचल

संख्या: 2171/वि०स०/263/संसदीय/2005

देहरादून, दिनांक : 10 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क.22 सन् 2005) की धारा 28 (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये अध्यक्ष, उत्तरांचल विधान सभा एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

नियम

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार (फीस एवं लागत का विनियमन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2–परिभाषाएंः– इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः

(क) 'अधिनियम' से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है,

(ख) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है,

(ग) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं है, किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3–अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु हिन्दी में आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के सचिव, विधान सभा के नाम देय रू0 दस की फीस उचित रसीद के प्रति नगद या डिमान्ड ड्राफ्ट, या बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

4–धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना दिये जाने हेतु लोक प्राधिकारी के सचिव, विधान सभा के नाम देय निम्न दरों के अनुरूप फीस उचित रसीद के प्रति नगद या डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना होगा।

(क) ए–3 या ए–4 आकार के पृष्ठ (छायाप्रति या तैयार सूचना) हेतु रू0 दो प्रति पृष्ठ और इससे बड़े आकार के पृष्ठ हेतु वास्तविक लागत;

(ख) अभिलेखों के निरीक्षण हेतु प्रथम घण्टा हेतु कोई फीस देय नहीं होगी, उसके उपरान्त प्रत्येक पन्द्रह मिनट (अथवा उसके भाग) हेतु रू0 पांच की फीस का भुगतान किया जाना होगा;

(ग) प्रदर्शो एवं नमूनों की वास्तविक लागत का भुगतान किया जाना होगा।

5–अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना दिये जाने हेतु लोक प्राधिकारी के सचिव, विधान सभा के नाम देय निम्न दरों के अनुरूप फीस, उचित रसीद के प्रति नगद या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना होगा।

(क)– डिस्केट अथवा फ्लांपी पर सूचना दिये जाने हेतु, रू0 पचास प्रति फ्लांपी/डिस्केट; और

(ख)– किसी मुद्रित प्रकाशन की दशा में, उसका निर्धारित मूल्य या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति के प्रति पृष्ठ के लिये दो रूपये।

उत्तरांचल विधान सभा अध्यक्ष के नाम से
तथा आदेशानुसार

(महेश चन्द्र)
सचिव,
उत्तरांचल विधान सभा